

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024...12770

प्रेषक,

जय सिंह, मा० प्र० से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

**बन्दोबस्त पदाधिकारी,**

अररिया / जमुई / कटिहार / मधेपुरा / नालन्दा / पूर्णियाँ / सहरसा / शिवहर /  
सीतामढ़ी / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / सारण / सिवान / गोपालगंज / बक्सर /  
भोजपुर / भभुआ (कैमुर) / औरंगाबाद / रोहतास / नवादा / पटना / दरभंगा /  
समस्तीपुर / मधुबनी / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) / वैशाली / मुजफ्फरपुर / गया /  
भागलपुर।

पटना दिनांक :- 17/07/2024

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा  
बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के  
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य  
अन्तर्गत बन्दोबस्त कार्यालयों के नियंत्रणाधीन शिविरों में उपकरण/उपस्कर क्रय करने हेतु विषय  
शीर्ष - मशीने उपस्कर, ईकाई कोड- 52 01 से 372 शिविरों के लिए प्रति शिविर 1,00,000/-  
(एक लाख) रुपये मात्र की दर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,72,00,000/- (तीन करोड़ बहत्तर  
लाख) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स०	कार्यालय का नाम	शिविरों की संख्या	प्रत्येक शिविर 1,00,000/- (एक लाख) के दर से	कुल राशि (3x4)
1	2	3	4	5
1	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	3	100000	300000
2	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	4	100000	400000
3	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	9	100000	900000
4	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	7	100000	700000
5	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	3	100000	300000
6	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	10	100000	1000000

क्र०स०	कार्यालय का नाम	शिविरों की संख्या	प्रत्येक शिविर 1,00,000/- (एक लाख) के दर से	कुल राशि (3x4)
1	2	3	4	5
7	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	5	100000	500000
8	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	2	100000	200000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	8	100000	800000
10	बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण	7	100000	700000
11	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण	20	100000	2000000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	19	100000	1900000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	14	100000	1400000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	11	100000	1100000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर	14	100000	1400000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, भभुआ (कैमूर)	11	100000	1100000
17	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	11	100000	1100000
18	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	19	100000	1900000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	14	100000	1400000
20	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	23	100000	2300000
21	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	18	100000	1800000
22	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	20	100000	2000000
23	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	21	100000	2100000
24	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण	27	100000	2700000
25	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली	16	100000	1600000
26	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	16	100000	1600000
27	बन्दोबस्त कार्यालय, गया	24	100000	2400000
28	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	16	100000	1600000
कुल योग :-		372		37200000

**(तीन करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र**

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/मॉग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक 12/07/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12.7.70  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक 12/07/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12.7.70  
प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक 12/07/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12.7.70  
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12770 पटना, दिनांक :- 17/07/2024  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं  
परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाप